R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part IInd
Paper - Ist (Muslim Law)
Family Law

आदत्ता की पात्रता एवं दान की विषय वस्तु:-

दान का अर्थ है सम्पत्ति का अंतरण, जो बिना विनिमय के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को तत्काल प्रभाव से किया जाता है तथा दूसरे द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी के द्वारा स्वीकार किया जाता है।

मुस्लिम विधि के अनुसार दान निम्न व्यक्तियों को दिया जा सकता है

(i) कोई भी जीवित व्यक्ति जो सम्पत्ति धारण करने की पात्रता रखता हो :-

अतः शुद्ध विधि अनुसार अजन्मे व्यक्ति को दिया गया दान अविधिमान्य है।

(ii) गर्भाधीन बच्चा :- अजन्मे व्यक्ति को दान दिया जा सकता है बशर्ते कि उसका जन्म दान की तिथि से दो माह के भीतर हो कारण यह परिकल्पना है कि उस समय बच्चा स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में गर्भ में अस्तित्व में था।

(iii) अजन्मा व्यक्ति :- सम्पत्ति फलोपभोग अधियत्र के सीमित अधिकार को अजन्मे व्यक्ति

को दान दिया जा सकता है। शर्त यह है कि जिस दिन उसका हित अस्तित्व में आता है, वह व्यक्ति अस्तित्व में होना चाहिए।

(iv) विधिक व्यक्ति — मस्जिद, दरगाह, पूर्त संस्था जैसे पाठशाला ऐसे विधिक व्यक्ति को दान दिया जा सकता है।

(v) गैर मुस्लिम — गैर मुसलमान को भी दान दिया जा सकता है। दान की सम्पत्ति आदाता के हाथ में आने के उपरांत उसी के स्वीय विधि के अनुसार अनुशासित होगी।

(vi) दो या अधिक व्यक्ति — जब दो या अधिक आदाताओं को सम्पत्ति का विभाजन किये बगैर दान दिया जाता है, उस दान की विधि मान्यता मुशा के सिद्धांत के द्वारा अनुशासित होती है।

दान की विषयवस्तु

सम्पत्ति के सभी रूप जिन पर नियंत्रण संभव है, दान की विषयवस्तु है। इसमें सभी माल - पैत्रिक, स्वअर्जित, चल, अचल मूर्त अमूर्त आता है।

मूर्त वस्तु का अर्थ है जो भौतिक रूप से अस्तित्व रखती है, जैसे- पैसे मकान, जमीन, जानवर आदि। अमूर्त सम्पत्ति से तात्पर्य है जो भौतिक रूप से नहीं दिखती अदृश्य होती है जैसे- ऋण, न्यायिक वादों में दावे का अधिकार, दावे में अंश भाग पाने का अधिकार बीमा पॉलिसी इत्यादि। उपरोक्त अमूर्त सम्पत्तियाँ

Scanned with CamScanner

में से कुछ के दान की वैधता का यहाँ परीक्षण उपयोगी है। हिबा के अनिवार्य तत्वों में से एक है आधिपत्य का परिदान, इस दृष्टिकोण से देखते हुए एक मत है कि अमूर्त वस्तुओं का हिबा नियमानुसार नहीं है क्योंकि उनका भौतिक आधिपत्य सम्भव नहीं है, किन्तु ऐसा नहीं है, अमूर्त सम्पत्तियों का भी हिबा किया जा सकता है। जब लिखित द्वारा दावे का अधिकार दान में दिया जाता है। जब उच्च न्यायालय गुजरात के निर्णयानुसार आदाता द्वारा दान की स्वीकृति आवश्यक है। मुल्ला लिखते हैं, " दाता ने जहाँ तक संभव हो आदाता को वह वस्तु दे देनी चाहिए जो वह दान में देता है अर्थात वे सभी अधिकार जो उसके पास है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि जहाँ दान की वस्तु साम्पत्तिक अधिकार हैं वहाँ दान इसलिए अविधिमान्य होगा क्योंकि दाता ने मूर्त रूप में समग्र सम्पत्ति का हस्तांतरण नहीं किया। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह अधिकार हाथ में दिखने वाली सदृश्य वस्तु नहीं है जिसका भौतिक सदृश्य आधिपत्य उसके पास नहीं है, उसे वह हस्तांरित भी नहीं कर सकता। उसने दान की वास्तविकता को दान की वस्तु के अधिकार से स्वतः को वंचित कर सिद्ध करना है, उतना वंचित कर जितना वस्तु के स्वभावानुसार संभव है।

(७) मोचन करने का अधिकार :-

मुसलमान बंधककर्ता अपने बंधक सम्पत्ति के मोचन के अधिकार

दान द्वारा अंतरित कर सकता है, अंतरण के समय कब्जेदार के आधिपत्य में संपत्ति हो तो भी वह दान वैध है।

(b) दाता के प्रतिकूल कब्जे वाली सम्पत्ति :-

जो सम्पत्ति दाता के प्रतिकूल आधिपत्य में अन्य व्यक्ति के पास है, दाता उसका दान तभी कर सकता है जब कि उसे उसका आधिपत्य प्राप्त हो तथा आगे आदाता को आधिपत्य का परिदान करे; अन्यथा नहीं।

(c) समग्र सम्पत्ति तथा फलोपभोग का दान :-

समग्र सम्पत्ति का दान किया जा सकता है, परन्तु जहाँ केवल फलोपभोग दिया जाता है, उसे हिबा नहीं अरियत कहते हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मुस्लिम विधि ऐसे दान की अनुमति नहीं देती जिसमें संपूर्ण स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। आजीवन हित का दान वैध है, अविभाजित सम्पत्ति में किराये में निर्दिष्ट अंश की वसूली का अधिकार, जमींदारी भूमि में कुछ अधिकार भी दान में दिये जा सकते हैं।

हिबा (दान) एवं अरियत में अंतर :-

हिबा (दान)	अरियत
1. दाता वयस्क होना चाहिए।	1. वयस्कता आवश्यक नहीं।
2. सम्पत्ति का स्वामित्व अंतरित होना चाहिए	2. सम्पत्ति का स्वामित्व अंतरित नहीं होता
3. हिबा सशर्त नहीं होता है।	3. सशर्त होता है और समय सीमा भी
4. तुरन्त प्रभावी हो, समाश्रित नहीं	4. भविष्य में प्रभावी हो सकता है।
5. पूर्णता के लिए स्वीकृति आवश्यक है।	5. स्वीकृति की शर्त नहीं है।

Scanned with CamScanner